

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:-11 अक्टूबर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के दौरान उपयोग किये जाने वाले ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट के प्रथम रैंडमाइजेशन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रथम रैंडमाइजेशन के माध्यम से प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) में सही पाये गये ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट को विधानसभावार यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। प्रथम रैंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल EVM Management System -EMS के माध्यम से संपन्न होता है। इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के Manual on Electronic Voting Machine में वर्णित है, जो भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट <https://www.eci.gov.in/evm-vvpat> पर उपलब्ध है।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में राज्य में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित है:-

क्र०	जिला का नाम	प्रथम रैंडमाइजेशन की तिथि	चरण
1	मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखिसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर	दिनांक- 11.10.2025	प्रथम चरण
2	पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सितामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर	दिनांक- 13.10.2025	द्वितीय चरण

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में प्रथम चरण के 18 जिलों में कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा प्रथम रैंडमाइजेशन आज दिनांक 11.10.2025 को कार्यान्वित किया गया।

प्रथम रैंडमाइजेशन पूर्ण होने के उपरांत, विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं उपस्थित दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची सभी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला स्तरीय कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। इस सूची के अनुसार ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों को आगामी निर्वाचन में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इसके उपरांत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित स्ट्रॉंग रूम में मान्यता प्राप्त दलों प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भंडारित कर दिया जाएगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिये जाने के उपरांत, प्रथम रैंडमाइजेशन में चयनित ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की सूची अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
